झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–30 वर्ष 2021

1. उमेश सर्राफ उर्फ उमेश कुमार सर्राफ
2. द्रवीण राज सर्राफ
3. द्रव्य राज सर्राफ .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. विजय कुमार बर्मन .... विपक्षी पक्ष

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनन्दा सेन**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्त्तागण के लिए :– श्री जयंत कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– सुश्री प्रिया श्रेष्ठ, ए0पी0पी0।

विपक्षी पक्ष सं0 2 के लिए :– कोई नहीं

04 / 23.02.2021 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। अधिवक्ता को कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जिसे आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

आयोजित किया गया है। उनकी ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

याचिकाकर्त्ताओं ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/420/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराधों के लिए बरियातु पुलिस स्टेशन वाद संख्या 329/2018 के रूप में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती दी है।

पहली सूचना रिपोर्ट में, सूचक द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी भतीजी की याचिकाकर्त्ता संख्या 2 के साथ शादी होनी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी से पहले कुछ अनुष्ठान भी हुए थे। इसके बाद याचिकाकर्त्ताओं ने सूचक से बचने की कोशिश की और शादी में देरी कर रहे थे। याचिकाकर्त्ताओं के साथ बहुत अनुनय और तर्क देने पर, मुखबिर को पता चला कि दहेज के रूप में 8,00,000/—रू0 (आठ लाख रूपये) की राशि की मांग की जा रही है, जो सूचक देने की स्थिति में नहीं है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप, निश्चित रूप से, एक संज्ञेय अपराध बनाता है, जिसे जांच की आवश्यकता है। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से एक संज्ञेय अपराध बनाया जाता है, तब इसे पंजीकृत होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है यदि उसमें वर्णित आरोपों के अवलोकन से संज्ञेय अपराध बनता है। याचिकाकर्त्ताओं का दावा है कि लड़की के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। अन्य आधार, जो याचिकाकर्त्ताओं ने लिए हैं, जांच के मामले हैं।

चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोपों के मात्र अवलोकन से अपराध बनता है, इसलिए मैं इस आपराधिक विविध याचिका को सुनने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

तद्नुसार, यह आपराधिक विविध याचिका खारिज कर दी जाती है।

(श्री आनन्दा सेन, न्याया0)